of the Central Reserve Police Force Act 1949. [Placed in Library. *See* No. LT-1169/90].

II. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Home Affairs draft Notification (F.No. 10/9/-90-M&G) publishing the Ministers' (Allowances, Medical Treatment and other Privilege) Amendment Rules, 1990, under sub-section (2) of section 11 of Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952. [Placed in Library. *See* No. 1252/90].

Notifications of the Ministry of Surface Transport (Shipping and Ports Wings)

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI K. P. UNNIKRISHNAN): Madam, I lay on the Table—

I. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Surface Transport (Shipping Wing) Notification GSR No. 312, dated the 8th May 1990 publishing the Merchant Shipping (Continuous Discharge Certificate) Amendment Rules, 1990, under sub-section (3) of section 458 of the Merchant Shipping Act, 1958.

[Placed in Library. *See* No. LT-1170/90]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Surface Transport (Ports Wing), under sub-section (4) of section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963:—

(i) GSR No. 634(E), dated the 13th July, 1990, publishing the Cochin Port Employees (Retirement) Amendment Regulations, 1990.

(ii) GSR No. 635(E), dated the 13th July, 1990, publishing the Madras Port Trust Employees' (Classification, Control and Appeal) (First Amendment) Regulations, 1990.

(iii) GSR No. 549(E), dated the 5th June, 1990, publishing the Bombay Port Trust Employees (Conduct) Amendmen Regulations, 1990.

[Placed in Library. For (i) and II *See* No. LT-1254.90].

I. Report and Accounts (1988-89) of the Videsh Sanchar Nigam Limited, Bombay and related papers.

II. Report and Accounts (1988-89) of the Mahanagar Telephone Nigam Limited and related papers.

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : महोदया, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी और हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं--

(i) (क) 1988-89 के वर्ष के लिए विदेश संचार निगम लिमिटेड, बम्बई का तीसरा वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) निगम के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई (क) और (ख) के लिए देखिए संख्या-एल.टी. 1297/90]

(ii) (क) 1988-89 के वर्ष के लिए महानगर टेलीफ़ोन निगम लिमिटड भई दिल्ली का तीसरा वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे, लेखाओं पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) निगम के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई (क) और (ख) के लिए देखिए संख्या-एल.टी. 1255/90]

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : आज के समाचार पत्र में छपा है इनमें दो केन्द्रीय मंत्रियों का.... **(व्यवधान)**

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार) : **(व्यवधान)** रिफ़ाइनरी बंद है, ऐसी हालत में सरकार से हम यह अनुरोध करना चाहेंगे कि बरौनी के बारे में ... **(व्यवधान)**

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Pachouri, how did you come over here? Go back to your seat. I will not permit you. Go back to your seat. When I permit you, I will ask you to come over here.

श्री दिग्विजय सिंह (बिहार) : महोदय यह बहुत जरूरी मसला है बरौनी के बारे में। इस पर सरकार तत्काल बयान दे... **(व्यवधान)**

उपसभापति : I will allow you. आपको मैं एलाउ करूंगी, बरौनी का मसला कल हाउस में उठाया था हमारे हाउस के मेंबर श्री चतुरानन मिश्र जी ने और अहलुवालिया जी ने, यह सीरियस मसला है। मंत्री जी हैं नहीं, आयेंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। अभी तो बैठ जाइये।

श्री शंकर दयाल सिंह : महोदया, सरकार से कहिये कि वह बयान दे... **(व्यवधान)**

उपसभापति : बरौनी की बात मैंने कही कि मंत्री जी यहां हैं नहीं, आयेंगे तो मैं कह दूंगी। मैं खबर कराती हूं। हो सकता है कि वे लोक सभा में बिजी हों। लोक सभा में बिजी होंगे। जैसे ही मंत्री जी आयेंगे, वह हमारे हाउस के लीडर हैं। बरौनी के मसले को आपने और अहलुवालिया जी ने उठाया था। अभी हमारे दो माननीय सदस्य उठा रहे हैं... **(व्यवधान)**

श्री महेन्द्र सिंह लाठर (हरियाणा) : महोदया, शरणार्थियों की बात क्यों नहीं सुनना चाहते... **(व्यवधान)**

उपसभापति : हां सुनाइये।

श्री महेन्द्र सिंह लाठर : थैंक यू मैडम।

SHRI YASHWANT SINHA: Madam, I want to say something.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will allow. I will definitely allow you to speak. Let me see what problem he has got.

वह कभी बोलते नहीं, इन्हें बोलने दीजिये।

श्री महेन्द्र सिंह लाठर : मडम, कश्मीर शरणार्थियों ने बोट क्लब पर आ करके एजीटेट किया और वहां पर उनके रोते हुये औरतों और बच्चों की तस्वीरें आज सारे अखबारों के अंदर छपी है। यह हमारे लिये शर्म की बात है कि हम कश्मीर के अंदर ऐसे हालात नहीं बना पाये ताकि यह लोग वहां पर बस सकें और जो निकाले गये, अपनी जान बचाकर जो यहां पर पहुंचे हैं हमारी सरकार उनको सुविधायें देने के लिये क्या कदम उठा रही है ? यह हम अभी तक नहीं समझ पाये।

उपसभापति : आज कश्मीर पर डिस्कशन होने वाला है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपने दुख का इजहार तब कर सकते हैं ... **(व्यवधान)**

श्री महेन्द्र सिंह लाठर : ... **(व्यवधान)** सरकार को कहिये कि... **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदया, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो कश्मीर की घाटी से निकाल दिये गये। दिल्ली में कोई रोना भी सुनने के लिये तैयार नहीं है।

श्री महेन्द्र सिंह लाठर : मैडम, हम उनको बसाने के लिए, उनके खाने के लिए क्या कर रहे हैं ? उनकी शक्लें देखकर मैं समझता हूं कि सारे देश को शर्म आनी चाहिए। इस मामले के ऊपर क्योंकि उनको इस तरह की तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। वहां पर औरत बेचारी बेघर होकर बैठी हैं।

उपसभापति : आपकी बात हाउस में सुनी गयी। यह गंभीर मसला है, यकीनन सरकार इस पर गंभीरता के साथ ध्यान देगी। आज शाम को हमारे यहां कश्मीर पर डिस्कशन हो रहा है, आप उसमें भी बोल सकते हैं।

श्री एस०बी० चव्हाण (महाराष्ट्र) : वह तो स्पेशल पावर जो आर्म्ड फोर्सेस को दिए गए हैं, उसका बिल है।

उपसभापति : काश्मीर की बात है तो थोड़ा-बहुत बोल सकते हैं।

RE. UNSATISFACTORY REPLIES TO QUESTIONS TABLED

SHRI YASHWANT SINHA (Bihar): Madam, Deputy Chairman, I am raising a matter where I want to seek your protection, the protection of the Chair. I had asked a question of the Government which was put as an Unstarred Question and it was answered yesterday and I got a copy of that reply today. The question which I had asked was:

(a) what is the number of retiring Government servants who have been given extension in service and/or re-employment after retirement since December, 1989, till date;

(b) whether it is the policy of Government to give extensions or re-employment freely to retiring Government servants; and

(c) if not, what is the justification for giving such extension or re-employment after retirement to Government employees?

Now, the aswer which I got was:

"As the appropriate authorities in the respective Ministries/Departments are competent to grant extension/re-employment in service to Government employees working under them, the information regarding the number of employees who have been granted extension/re-employment in service since December, 1989, is not available centrally in this Ministry."

Madam, this was a question relating to the Government of India, not to the State Governments. And there are only some Ministries where extensions have been granted. It is not a large number. I am very surprised at the reply which I have received from the Government. This is a reply which has come from the Prime Minister's Ministry. I am bringing it to your notice and, through you, to the notice of the House that as an ordinary Member of the House I deserve your protection. We must be able to get replies to questions we ask within a stipulated period. It is a very serious matter that such simple information has not been made available by the Government.

SHRI KAMAL MORARKA (Rajasthan): The Department of Personnel could have collected the information. This is not the only case. I have got half a dozen cases which I gave to the Secretary-General. The replies given are invariably shoddy; they are no replies at all. Increasingly Parliament is being taken for granted. We want your protection.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Parliamentary Affairs Minister will take note of it and rectify it. I would like you to convey to the various Ministries the grievance of the Members.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI JAGDEEP DHANKAR): It would be done, Madam.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार) : मैडम, गवर्नमेंट का सेक्युरिटी एडवायजर उसको बनाया गया है जोकि 8 साल पहले रिटायर हुए हैं और उनके खिलाफ़ दिल्ली हाइकोर्ट में कांस्पिरेसी केस चल रहा है, उसको हिन्दुस्तान का सेक्युरिटी एडवायजर बनाया गया है।

उपसभापति : व्यक्तिगत रूप से नहीं बोलिए। एक जो सामूहिक सवाल उठाया है, उसकी बात है। यहां व्यक्तिगत सवाल नहीं है।

श्री सुरेश पचौरी (बिहार) : महोदया, रत्न भंडारों की भारी लूट हो रही है और इसमें दो केन्द्रीय मंत्रियों का शामिल होना बताया गया है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। जैम्को नामक एक